संख्या-39/2026/211/आठ-1-26-1754460

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

उपाध्यक्ष,
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 20 फरवरी, 2026**

विषयः- जनपद अयोध्या में अयोध्या विजन डाक्यूमेंट-2047 के अन्तर्गत अयोध्या नगर में वर्षा जल निकासी हेतु प्रणाली विकसित किए जाने सम्बंधी प्रथम चरण के अन्तर्गत क्षीर सागर के वर्षा जल निकासी सम्बंधी परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-76/2023/1074/001-987/2023, दिनांक 08.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत परियोजना की धनराशि रू0 3748.58 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी।

2- उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-361/अयो0वि0प्रा0-अयो0/2025-26 दिनांक 29.10.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना के पुनरीक्षित प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या नगर में वर्षा जल निकासी हेतु प्रणाली विकसित किए जाने सम्बंधी प्रथम चरण के अन्तर्गत क्षीर सागर के वर्षा जल निकासी सम्बंधी परियोजना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 3979.64 लाख (रूपये उनतालीस करोड उन्यासी लाख चौसठ हजार मात्र) की सहर्ष पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैः-

(1) परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किए जाने से पूर्व परियोजना में निहित भूमि के सम्बंध में अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या द्वारा जिलाधिकारी, अयोध्या से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा कि परियोजना की निहित भूमि सरकारी है एवं निर्विवादित है।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण का होगा तथा अयोध्या विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि में प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। अयोध्या विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो। जी0एस0टी0 के सम्बंध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना अंतर्गत सामग्री का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण का होगा।

(9) प्रायोजन्तर्गत अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या कार्यदायी संस्था होगी। कार्यदायी संस्था द्वारा सेन्टज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चिँत की जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जाएगी।

(10) अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(11) अयोध्या विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप अयोध्या विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाए।

(13) भूमि के संबंध में संबंधित विभागों से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाए।

(14) प्रायोजनान्तर्गत बाजार दरों पर प्रस्तावित कार्यों की लागत को इन्डीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया हैं। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। अयोध्या विकास प्राधिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाए। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण का होगा।

(15) प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(16) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-अयोध्या विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था-अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा जनपद अयोध्या में प्रस्तावित कार्य को सही स्थल पर, मानक अनुरूप व गुणवत्ता पूर्वक समयबद्ध पूर्ण कराये जाए, कार्य के पूर्व, दौरान व उपरान्त के गूगल मैप फोटो (जियो कोआर्डीनेट्स व दिनांक के अंकन सहित) रक्षित किये जाए व मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा भी नियमित पर्यवेक्षण कर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(18) कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17-(4)/75 दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चिँत की जाएगी।

(19) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-अयोध्या विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(20) सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का अभिप्राय है कि डिटेल्ड स्टीमेट, ड्राइंग,डिजाइन, गणनायें, स्थल की वास्तविक न्यूनतम आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा, कार्य की दर सूची/दस विश्लेषण की दरें एवं लागत को सक्षम स्तर से स्वीकृत कराया जायेगा।

(21) प्रस्तुत प्राक्कलन में ली गयी दरों/बाजार दरों एवं मात्राओं को आधार नहीं माना जायेगा। नियमानुसार ई-निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक दरें, प्राप्त करते हुए, दरों, स्थल की वास्तविक न्यूनतम आवश्यकतानुसार मात्रायें, डिजाईन एवं विशिष्टियों का निर्धारण करने का उत्तरदायित्व अयोध्या विकास प्राधिकरण का होगा।

(22) निर्माण सामग्री के निर्धारित नार्म्स के अनुसार परीक्षण कराकर सामग्री की मानक गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए, कार्य निर्धारित विशिष्टियों मानक गुणवत्तापूर्वक सम्पादित कराने का उत्तरदायित्व अयोध्या विकास प्राधिकरण का होगा।

(23) गैर वन भूमि/कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी से पातन की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(24) प्रश्नगत क्षेत्र में परियोजना की स्थापना के पूर्व सम्बंधित संस्था के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुरूप यथाआवश्यक पर्यावरणीय क्लीयरेंस लिया जाना होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरण संघात अधिसूचना 2006 यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुसार सक्षम स्तर से नियमानुसार पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(25) कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा प्रायोजना का अवशेष निर्माण कार्य 03 माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा तथा टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन इत्यादि के कारण प्रायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

(26) कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 31.12.2025 के कार्यवृत्त में दिये गये निर्देश/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-051-निर्माण-04-अयोध्या का सर्वागीण विकास-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-8-954-X-2025-26 दिनांक 17.02.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेश कुमार राय

विशेष सचिव।

संख्या-39/2026/211(1)/आठ-1-26-1754460 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, अयोध्या।
4. जिलाधिकारी, अयोध्या।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in